

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, धनबाद ।

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के तहत अनुमति)

एम0 आर0 केश नं0- 149/2021-22

-:आदेश:-

17/04/23

अभिलेख आज उपस्थापित। आवेदक के आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, बलियापुर से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गयी। अंचल अधिकारी, बलियापुर के पत्रांक- 38, दिनांक- 10.01. 2023 द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि आवेदक बानेश्वर महतो, पिता- स्व0 पुस्तम महतो, साकिम- धोखरा, टोला- मल्लिकडीह, थाना- बलियापुर, जिला- धनबाद अपनी जमीन मौजा- धोखरा, मौजा नं0- 42, पुराना खाता नं0- 20, पुराना प्लॉट सं0- 2852, नया खाता सं0- 157, नया प्लॉट सं0- 3253, रकबा- 16 डिसमील भूमि क्रेता सुलोचना देवी, पति- जगदीश खानी, साकिम- करमाटोंड़, थाना- बलियापुर, जिला- धनबाद को बेचने की अनुमति चाहते हैं। अंचल अधिकारी ने अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि क्रेता जाति के कहार एवं विक्रेता जाति के कुर्मी हैं तथा दोनों एक ही थाना- बलियापुर, जिला- धनबाद के निवासी हैं। जमीन रैयती खाते की है, बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास 12 डिसमील भूमि शेष बचती है। अंचल अधिकारी के द्वारा आवेदित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति देने की अनुशंसा भी की गयी है।

अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आवेदक को प्रश्नगत जमीन बिक्री करने की अनुमति उपायुक्त द्वारा निर्धारित दर पर की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित,

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
धनबाद।

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
धनबाद।